AMAR UJJALA N.D 14/3/19

वाहनों के ट्यूब पर बढ़ सकती है जीएसटी दर

एआईटीडीएफ ने वित्त मंत्री से की है जीएसटी बढ़ाने की मांग

अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। मोटर वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ट्यूब आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं। अखिल भारतीय टायर डीलर्स फेडरेशन (एआईटीडीएफ) ने वाहनों के ट्यूब पर जीएसटी बढ़ाने संबंधी प्रतिवेदन बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा है। इस पर जीएसटी परिषद की 19 मार्च को होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है।

एआईटीडीएफ ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि शुरू में मोटर वाहनों में उपयोग होने वाले रबर के टायर और ट्यूब पर 28 फीसदी की दर से समान कर लगता था। पिछले साल ट्रक, बस, कार, एसयूवी, दोपहिया और तिपहिया वाहनों, अर्थमूविंग मशीनों में लगने वाले ट्यूब पर जीएसटी 28 से घटा 18 फीसदी कर दिया गया। हालांकि, जीएसटी परिषद ने तय किया कि यदि कोई ग्राहक टायर के साथ ट्यूब (पूरा व्हील सेट) खरीदता है तो उसे दोनों पर 28 फीसदी जीएसटी देना होगा, लेकिन ग्राहक यदि सिर्फ ट्यूब खरीदता है तो 18 फीसदी ही जीएसटी देगा।

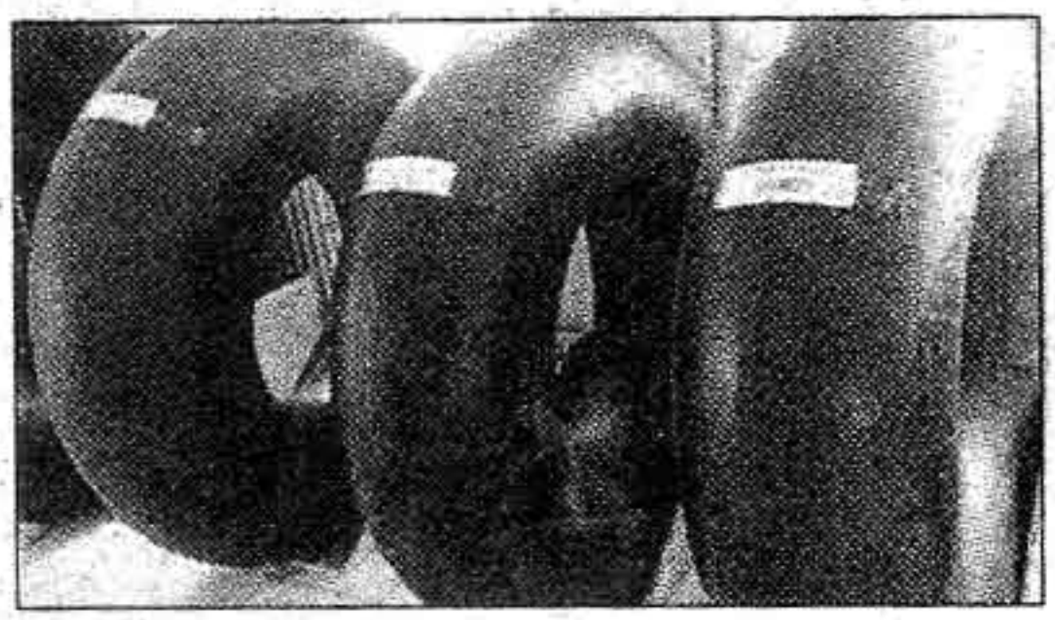

28% जीएसटी लगाने की मांग कर रहे हैं टायर डीलर, अभी 18 फीसदी लगता है

चुनाव आयोग ने बैठक को दी मंजूरी

चुनाव आयोग ने 19 मार्च को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक को मंजूरी दे दी है। आचार संहिता लागू होने के बाद इस बैठक के लिए आयोग की मंजूरी लेना जरूरी था। परिषद की यह 34वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। जीएसटी परिषद सचिवालय ने राज्यों को इस बाबत नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।

रियल एस्टेट पर होगी चर्चा

इस बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी में दी गई छूट को लागू करने पर चर्चा होगी। परिषद ने पिछली बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% और किफायती मकानों पर 8 से घटाकर 1% कर दिया था। अब इसे लागू करने के लिए जरूरी बदलाव के प्रावधानों पर चर्चा की जानी है।

फर्जी इनवॉइस से 224 करोड़ की जीएसटी चोरी

आठ कंपनियों के समूह ने फर्जी इनवॉइस बनाकर 224 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी को अंजाम दिया। केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कर चोरी के लिए इन कंपनियों ने 1,289 करोड़ रुपये की फर्जी इनवॉइस बनाई थी। हैदराबाद के केंद्रीय जीएसटी आयुक्त की ओर जारी बयान में कहा गया कि मामले से जुड़े मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर 19.75 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। इन कंपनियों के मुख्यालयों और उनसे जुड़े अधिकारियों के आवास पर छापेमारी कर फर्जीवाड़े से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इन कंपनियों ने अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए गलत इनवॉइस और ई-वे बिल बनाने के साथ फर्जी कारोबार का सर्कुलर भी जारी किया।